प्रैस विज्ञप्ति

दिनांक 05.09.2020

थाना अरनिया पुलिस द्वारा गैंगस्टर में वांछित 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित पापू को मादक पदार्थ(गांजा) व अवैध असलहा मय कारतूस सहित किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्री हरेन्द्र कुमार के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खुर्जा श्री सुरेश कुमार के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 05.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक अरनिया श्री अल्ताफ अंसारी मय पुलिस फोर्स के क्षेत्र में देख-रेख शान्ति व्यवस्था एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि थाना अहार से गैंगस्टर में वांछित 25,000 रूपये का एक पुरस्कार घोषित अपराधी पापू कहीं जाने की फिराक में महमूदपुर मोड़ पर खड़ा है जिसके पास अवैध असलहा व मादक पदार्थ भी है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक अरनिया मय पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर द्वारा बताये स्थान महमूदपुर मोड़ से घेराबन्दी कर अभियुक्त पापू को अवैध असलाह मय कारतूस मादक पदार्थ(गांजा) सहित समय करीब प्रातः 08.40 बजे गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. पापू पुत्र भब्बल निवासी ग्राम रोहिन्दा थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर

बरामदगी-

1- 01 तंमचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस।

2- 500 ग्राम मादक पदार्थ(गांजा) ।

गिरफ्तार अभियुक्त पापू एक शातिर किस्म अपराधी है जिसके द्वारा संगठित गैंग बनाकर चोरी आदि घटनाएं कारित कर आर्थिक लाभ अर्जित करने के आशय से अपराध करने में सक्रिय रहने पर थाना अहार पुलिस द्वारा मुअसं-141/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में निरूद्ध किया गया था। इस अभियोग में अभियुक्त पापू वांछित चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा 25,000 रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्त पापू के विभिन्न जनपदों/थानों पर चोरी आदि अपराधों के निम्न अभियोग पंजीकृत हैं-

अभियुक्त पापू का आपराधिक इतिहास-

1- मुअसं-92/19 धारा 379,411 भादवि थाना अहार जनपद बुलन्दशहर।

2 मुअसं-213/19 धारा 379 भादवि थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर।

3- मुअसं-284/19 धारा 379 भादवि थाना अतरौली जनपद अलीगढ।

4- मुअसं-699/19 धारा 379 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

5- मुअसं-216/19 धारा 457,380 भादवि थाना जारचां जनपद गौतमबुद्धनगर

6- मुअसं-282/19 धारा 379 भादवि थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर।

7- मुअसं-141/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना अहार जनपद बुलन्दशहर।**(वांछित)**

8- मुअसं-191/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

9- मुअसं-192/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना अरनिया पर मुअसं-191/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व मुअसं-192/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नामः-

1. श्री अल्ताफ अंसारी प्रभारी निरीक्षक अरनिया
2. व0उ0नि0 कामेश कुमार, उ0नि0 विजय सिंह
3. है0का0 विकास तोमर, का0 अवनीश कुमार, का0 कपिल कान्त, का0 पंकज राणा